अदा
म मु

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–91/2019

1. ललिता देवी उम्र 49 वष पत्नी श्री मूलचन्द
2. करणवीर उम्र 17 वर्ष पुत्र मूलचन्द जरिये संरक्षक वली कुदरती माता ललिता देवी
3. राजेश उम्र 20 वर्ष पुत्र मूलचन्द

समस्त जातिगण नायक निवासीगण पिलानी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादी

**प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम**

## निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2021

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पिलानी खुर्द पटवार हल्का पिलानी खुर्द की सरहद में खाता संख्या 113 के भूमि ख0न0 370/142 रकबा 1.6500 है. अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण 01 लगायत 03 प्रत्येक हिस्सा 1/10 के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया संख्या 1 का नाम सहवान से ललिता पत्नि मूलचन्द के स्थान पर लीला पत्नि मूलचन्द व प्रार्थी संख्या 2 का नाम करणवीर के स्थान पर काजेन्द्र दर्ज है इसी भांति प्रार्थी सं 3 का नाम राजेश राजेश के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज हो गया है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज क्रमशः प्रार्थी सं 1 के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जोब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व प्रार्थी सं. 2 ने आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र व प्रार्थी सं. 3 ने आधार कार्ड पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि लीला के स्थान पर ललिता, काजेन्द्र के स्थान पर करणवीर व राजेन्द्र के स्थान पर राजेश दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित लीला पत्नि मूलचन्द, काजेन्द्र पुत्र मूलचन्द व राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द के स्थान पर क्रमशः ललिता पत्नि मूलचन्द, करणवीर पुत्र मूलचन्द व राजेश पुत्र मूलचन्द किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गय ग्राम पिलानी खुर्द पटवार हल्का पिलानी खुर्द की सरहद में खाता संख्या 113 के भूमि ख0न0 370/142 रकबा 1.6500 है. लीला पत्नि मूलचन्द, काजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रगण मूलचन्द समस्त जाति नायक प्रत्येक हिस्सा 1/10 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से ललिता के स्थान पर लीला, करणवीर के स्थान पर काजेन्द्र, राजेश के स्थान पर

राजेन्द्र दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। प्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज क्रमशः प्रार्थी सं 1 के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जोब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व प्रार्थी सं. 2 ने आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र व प्रार्थी सं. 3 ने आधार कार्ड पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज पेश किये हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पिलानी खुर्द पटवार हल्का पिलानी खुर्द की सरहद में खाता संख्या 113 के भूमि ख0न0 370/142 रकबा 1.6500 है. जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित लीला पत्नि मूलचन्द के स्थान पर ललिता पत्नि मूलचन्द, काजेन्द्र पुत्र मूलचन्द के स्थान पर करणवीर पुत्र मूलचन्द व राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द के स्थान पर राजेश पुत्र मूलचन्द दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर